न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी जाति घांची निवासी पालडीएम तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्रीमती गीताकुंवर

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 17/2024

–:आदेश:–

दिनांक 27.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व अन्य की पैतृक पुश्तैनी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा पालडी (एम) पटवार क्षेत्र पालडी (एम), तहसील शिवगंज में खाता संख्या 487 खसरा नम्बर 368 रकबा 1.1574 हैक्टर किस्म ब 2, खसरा नम्बर 977 रकबा 0.6070 हैक्टर किस्म नहरी 2, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.4694 हैक्टर किस्म नहरी 2, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.8175 हैक्टर किस्म नहरी 2 कुल रकबा 3.0513 हैक्टर में 1/4 हिस्सा एवम् खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 108/1 रकबा 0.0486 हैक्टर किस्म ओड, खसरा नम्बर 108/2 रकबा 0.0405 हैक्टर किस्म रास्ता, खसरा नम्बर 109/1 रकबा 0.0890 हैक्टर किस्म गै.मु. वेरा, खसरा नम्बर 110/2 रकबा 0.0890 हैक्टर किस्म वाड़ा, खसरा नम्बर 110/5 रकबा 5.6737 हैक्टर किस्म चाही । कुल रकबा 5.9408 हैक्टर में 1/40 हिस्सा आया हुआ स्थित है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम मोनाराम पुत्र केसाजी लिखा हुआ है। जो प्रार्थी का धरेलु लाड प्यार का नाम हैं। जिस कृषि भूमि को आगे इस प्रार्थना–पत्र में विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। जबकी प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी लिखा हुआ हैं, प्रार्थी वर्तमान में उपरोक्त नाम से ही जाना व पहचाना जाता हैं। जिससे प्रार्थी नियमानुसार उपरोक्त खातेदारी भूमि में भी अपना मोनाराम पुत्र केसाजी के स्थान पर मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी दर्ज करवाना चाहता हैं। प्रार्थी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि में मोनाराम पुत्र केसाजी लिखा हुआ होने से एवम् प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी लिखा हुआ होने से प्रार्थी को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से कृषि हेतू मिलने वाले अनुदान व अन्य सुविधाओ को प्राप्त करने के काफी परेशानीयो का सामना करना पड़ता हैं। जिससे प्रार्थी जरिये शुद्ध के अपना नाम उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में मोनाराम पुत्र केसाजी के स्थान पर मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी दर्ज करवाना चाहता है। प्रमाण में मतदाता पहचान–पत्र, राशन कार्ड आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रार्थना–पत्र के साथ पेश हैं। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा पालडी (एम) पटवार क्षेत्र पालडी (एम), तहसील शिवगंज में हाल खसरा नम्बर 368, 977, 992, 997 कुल रकबा 3.0513 हैक्टर एवमं खसरा नम्बर 108/1, 108/2, 109/1, 110/2, 110/5 कुल रकबा 5.9408 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी का नाम मोनाराम पुत्र केसाजी को संशोधित करते हुये वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी दर्ज किये जाने का आदेश करवाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज [illegible] कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक [illegible] 24/403 दिनांक 19.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई। जिसमें अवगत कराया [illegible] का नाम उक्त खाता नं0 487 व 194 में प्रार्थी का नाम मो[illegible] लिखा हुआ है जबकि [illegible] के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहन[illegible] परमार का नाम अं[illegible]। प्रार्थी अधिवक्ता से सहखातेदारान के शपथ पत्र पेश करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर दिनांक 20.06.2025 को उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी के 2 सहखातेदारों के शपथ पत्र पेश किये व इसी दिन प्रार्थनापत्र पर बहस की जिसे सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थी का उपरोक्त दस्तावेजों व शपथपत्र के आधार पर नाम संशोधन करवाने का पुनः निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्रकरण—../2024
मोहनलाल परमार बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पत्रों का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा पालडी (एम) पटवार क्षेत्र पालडी (एम), तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 368, 977, 982, 997 कुल किता 4 कुल रकबा 3.0513 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 108/1, 108/2, 109/1, 110/2, 110/6 कुल किता 5 कुल रकबा 6.9408 हैक्टर में दर्ज दर्ज सहखातेदार प्रार्थी का नाम मोनाराम पुत्र केसाजी के स्थान पर मोहनलाल परमार पुत्र केसाजी नाम दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक—कोर्ट/2025/ 381 दिनांक 27—06—2025
प्रतिलिपि पालनार्थ—
तहसीलदार शिवगंज।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:34 IST
Reason: SelfAttested